

1. Urban water supply schemes & Construction of over head tanks

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल।

क्रमांक 8397 / रुपांकन./ प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./
प्रति

भोपाल दिनांक 13.10.05

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर परिक्षेत्र।

विषय :- गतिवर्धित नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम से सामान्य कार्यक्रम में परिवर्तित योजना।

संदर्भ :-

1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 2140 / अ.यं. / रुपांकन / प्र.अ. / दिनांक 21.3.05
- 2 इस कार्यालय का पत्र क्र. 3439 / रुपांकन / 8.5.05
- 3 इस कार्यालय का पत्र क्र. 5205 / रुपांकन / 23.6.05
- 4 इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3779 / रुपांकन / 16.8.05
5. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6077 / रुपांकन / 20.7.05
6. शासन का पत्र क्र. एफ-7-20 / 2005 / 2 / 34 / दिनांक 11.7.05

संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि गतिवर्धित नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम से सामान्य कार्यक्रम में परिवर्तित 18 योजनाओं में से केवल 5 योजनाएँ प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जा सकी है शेष 13 योजनाएँ अप्राप्त हैं योजना प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन के पत्र दिनांक 22.6.05 में तुलनात्मकप्रपत्र के कालम 9 में अधिक्क/कमी के कारण जो दशाये जाते हैं उनका औचित्य स्पष्ट उल्लेख कर दस्तावेज लगाये जावे। जो 5 योजनाएँ शासन को प्रेषित की गई हैं वे 5 योजनाओं में भी शासन द्वारा उक्त आपत्ति लगाकर वापस कर दी गई है। एवं अप्रशन्नता जाहीर की है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि शेष बची 13 योजनाओं में से अपने परिक्षेत्र से संबंधित योजनाएँ समुचित जानकारी का औचित्य के साथ सीघ्र प्रेषित करें ताकि योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति संबंध में कार्यवाही संभव हो सके। विलंब हेतु जिम्मेदारी तय करने की कार्यवाही 15 दिवस उपरांत प्रारंभ कर दी जावेगी।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क./8397/रुपांकन/प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./
प्रतिलिपि :-

भोपाल ,दिनांक 13.10.2005

1. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
2. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल